

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 121/20 बउनवानी ..... गिराजि ..... निवासी कोकरा ..... बनाम

विरुद्ध 1. श्री प्रदीप जी. एड. 2. श्री तौफिक मोहम्मद पैरोकार राजस्व

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	ता. अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुआ
--------	---------------------------------	---

23.03.2022 प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत अभियान 2022 के तहत सुलह समझौते की भावना से निस्तारण योग्य होने के कारण चिह्नित किये जाने के कारण यह प्रकरण आज न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। अपीलान्त वकील, पैरोकार सरकार सरकार राजस्व एवं राष्ट्रीय लोक अदालत 2022 के अध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित है। सुलह समझौते के तहत दौराने सुनवायी वकील अपीलान्त ने कथन किया है कि अदालत मातहत द्वारा मिसल संख्या 131/20 में ग्राम कोकरा तहसील राजस्व की आराजी खसरा नम्बर 725 रकबा 2.06 बीघर किस्म गेहूँ की भूमि में सम्वत 2022 में फसल काशत करना अंकित करते हुए अतिकर्मी माना है एवं दिनांक 23/3/20 को आदेश जैर अपील पारित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ अतिक्रमी मानकर 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। किन्तु अपीलान्त वकील द्वारा विवादित अतिक्रमित भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य में पुनः अतिक्रमण न करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर आदेश जैर अपील से अपीलान्त को दी गयी सिविल कारावास की सजा को माफ करने बाबत निवेदन किया है, इस सम्बन्ध में पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया है कि अपीलान्त द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी अदालत मातहत की पत्रावली में सलंगन है जिससे साबित होता है कि अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिचारी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपीलान्त की अपील खारिज की जावें।

उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपीलान्त ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया था जिसको खाली करने बावत् व भविष्य में पुनः अतिक्रमण न करने का कथन किया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अतिक्रमित भूमि से कब्जा हटाने की शर्त पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे N.T. अधिनियम द्वारा आदेश दिनांक 23/3/20 में बेदखली, शास्ति का दण्ड यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्त को दिये गये 30 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाकर सजा माफ की जाती है।

रजिस्टर्ड  
निर्णय मय पत्रावली संख्या 13/420  
दिनांक 23/3/20 तहसीलदार / नायब तहसीलदार को भेजी।  
दिनांक 23-3-20

(सदस्य) अति० जिला कलेक्टर